

विक्रय अनुबन्ध पत्र

1-श्री आर्यमान यादव पुत्र. श्री उपेन्द्र कुमार यादव व 2- श्रीमती अर्चना यादव पत्नी श्री उपेन्द्र कुमार निवासीगण 1001 ब्लाक ए, सैक्टर 4 बी, अजानारा प्रार्ड्ड अपार्टमेंट वसुन्धरा गाजियाबाद उ0प्र0।(जिनको इस विक्रय अनुबन्ध पत्र में प्रथमपक्ष गणकहकर सम्बोधित किया गया है।) —प्रथमपक्षगण/विकेता

एवं

श्री शाकिर हसन पुत्र. श्री अमीर हसन निवासी सराय. मरदान अली चौकी, शहादत नियर मस्जिद अब्दुसियान सहारनपुर उ0प्र0।(जिनको इस विक्रय अनुबन्ध पत्र में द्वितीयपक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है)।

के मध्य निष्पादित किया गया। — द्वितीयपक्ष/केता

विदित हो कि प्रथमपक्षगण इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति के मालिक काबिज स्वामी है। तथा प्रथमपक्षगण का नाम बतौर स्वामी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अनुबन्धित सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के भार व बन्धनो आदि से मुक्त पाक साफ है जिस पर किसी भी बैंक संस्था सोसायटी आदि का कोई ऋण बकायां नहीं है। अनुबन्धित सम्पत्ति में प्रथमपक्षगण का कोई अन्य साझी व भागी नहीं है। प्रथमपक्षगण विक्रय करना चाहते है तथा द्वितीयपक्ष कय करना चाहता है। जिस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य यह विक्रय अनुबन्ध पत्र अंकित किया जा रहा है। जिसकी विश्वर्तो का पालन दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी हित प्रतिनिधि स्थानापन्न करके करेगें और उसके पाबन्द रहेगें:-

अतः यह विक्रय अनुबन्ध निम्न दर्शाता है

- 1-यह कि दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्धित सम्पत्ति की कुल कीमत मुबलिया 1,05,00,000 /-रूपये (एक करोड़ ~~50~~ लाख रूपये) तय पथी गयी है।
- 2-यह कि प्रथमपक्षगण ने द्वितीयपक्ष से अग्रिम धनराशि के रूप में मुबलिया 1,00,000 /-रूपये (एक लाख रूपये) द्वारा बैंक ट्रान्सफर जिसका यूपी.आई0



Archanam
Archanam

नम्बर 400899635550

जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्षगण को स्वीकार है।

3-यह कि शेषराशि द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्षगण को बँनामा के पंजीकरण के समय अदा की जायेगी।

4-यह कि पक्षों के

मध्य अनुबन्धित सम्पत्ति का बँनामा सम्पन्न करने व कराने की अवधि दिनांक 17/01/2024 से 08/05/2024 तक तय पायी गयी है

जो कि परस्पर सहमति से घटायी व बढ़ाई जा सकेगी।

5-यह कि द्वितीयपक्ष को हक होगा कि वह अनुबन्धित सम्पत्ति का बँनामा अपने नाम कराये या अपने द्वारा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम पर करायें

एक विक्रयपत्र करायें या एक से अधिक करायें प्रथमपक्षगण को कोई आपत्ति ना होगी।

6-यह कि अनुबन्धित सम्पत्ति का बँनामा हर प्रकार से पाक साफ दशा में सम्पन्न किया जायेगा।

7-यह कि बँनामा सम्पन्न कराने में जो भी स्वाम्य आदि का खर्चा होगा वह द्वितीयपक्ष के जिम्मे होगा।

8-यह कि प्रथमपक्ष द्वारा अनुबन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में इससे पूर्व किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई इकरारनामा व अन्य दस्तावेज आदि अंकित व पंजीकृत नहीं किया गया है।

9-यह कि अनुबन्धित सम्पत्ति का कब्जा बँनामा के समय प्रथमपक्षगण द्वारा द्वितीयपक्ष के सुपुर्द किया जायेगा।

10-यह कि प्रथमपक्षगण आज के बाद निम्न वर्णित सम्पत्ति के विषय में किसी

अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई अनुबन्ध नहीं करेगे ना ही वर्णित सम्पत्ति को रहन आदि रखेंगे, ना ही किसी अन्य प्रकार से सम्पत्ति पर कोई भार आने देंगे और ना ही इसका कब्जा किसी अन्य को सौंपेंगे, तथा वर्णित सम्पत्ति को भार बन्धनों, कुर्को रहन, जमानत, आदि -आदि से पाक साफ अवस्था में रखेंगे तथा वर्णित सम्पत्ति को वर्तमान अवस्था में ही मय रिक्त अध्यासन के द्वितीयपक्ष को हस्तान्तरित करेगे, प्रथमपक्षगण को बँनामा सम्पन्न कराने से पूर्व



Pragya
Aravind

तथा वर्णित सम्पत्ति को वर्तमान अवस्था में ही मय रिकत अध्यासन के द्वितीयपक्ष को हस्तांतरित करेंगे, प्रथमपक्षगण को बैनामा सम्पन्न कराने से पूर्व अनुबन्धित सम्पत्ति के बिजली पानी के बिलों का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित विभाग को कर उसकी रसीद द्वितीयपक्ष को उपलब्ध करानी होगी।


विवरण अनुबन्धित सम्पत्ति

सम्पत्ति अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 7 ख रकबा 124.48 वर्गमीटर मौजा सौन्धौवाली धौरन परगना परवादन तहसील व जिला देहरादून जिसमें डबल स्टोरी भवन निर्मित है जिसका कवर्ड एरिया 160.66 वर्गमीटर है जिसकी सीमाये व नाप निम्न प्रकार से है:-

पूरुब में - भूमि अन्य सीमा में नाप 8.37 मीटर
पश्चिम में - 25 फीट चौड़ी सड़क सीमा में नाप 9.15 मीटर

उत्तर में - भूमि अन्य सीमा में नाप 13.66 मीटर
दक्षिण में - भूमि गौरी सावत , सीमा में नाप 14.76 मीटर


अतः यह अनुबन्ध पत्र आज दि० 20/01/2024 को स्थान देहरादून में लिख दिया गया है जो कि सनद रहे और वकत जरूरत पर काम आवे।



Archana

प्रथमपक्षगण ह० Archana ह० द्वितीयपक्ष ह० Archana


गवाह ह०


Shawale Sharma
T. Ranjive Khilay

गवाह ह०



ATTESTED
(RAJENDRA SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No 92, 1st Floor
Opposite Gauri Office
Collegiate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

NOTARY

Rajendra Singh Negi